



JALAUN POLICE

दिनांक - 02.10.2026

थाना रामपुरा पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध विस्फोटक पदार्थ एवं पटाखा निर्माण सामग्री बरामद कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

अपर पुलिस महानिदेशक महोदय कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक महोदय परिक्षेत्र झांसी, झांसी के कुशल निर्देशन में एवं पुलिस अधीक्षक जालौन के पर्यवेक्षण व अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 02.10.2026 को थाना रामपुरा पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति/वस्तु/वाहन की चेकिंग के दौरान ग्राम टीहर में मुर्गी फार्म के पास बनी कोठरी के बाहर छप्पर में अवैध रूप से पटाखा निर्माण में प्रयुक्त विस्फोटक पदार्थ एवं अन्य सामग्री बरामद करते हुए 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

बरामदगी के आधार पर थाना रामपुरा पर मु0अ0सं0 85/2026, धारा 5/9ख विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। बरामद विस्फोटक पदार्थ एवं अन्य सामग्री के संबंध में नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. राहुल कुमार पुत्र मेवालाल उम्र करीब 35 निवासी ग्राम टीहर थाना रामपुरा जनपद जालौन
2. हरेन्द्र सिंह पुत्र मानसिंह उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम टीहर थाना रामपुरा जनपद जालौन
3. कैलाश पुत्र वृन्दावन उम्र करीब 50 वर्ष निवासी ग्राम टीहर थाना रामपुरा जनपद जालौन

बरामदगी का विवरण

1. पीला पाउडर विस्फोटक - 08 किलो 170 ग्राम
2. सफेद पाउडर विस्फोटक - 02 किलो 730 ग्राम
3. 01 झोला रंगीन अवरी पेपर कागज एवं 10 गोला धागा
4. 01 झोला कपड़े की कतरन
5. 01 पैकेट पतंगी कागज
6. 01 झोला देशी दीवार पटाखा अधबने
7. 02 अदद प्लास्टिक डलिया
8. ढाई बोरा जूट देशी दीवार पटाखा
9. 01 छोटी प्लास्टिक बोरी में दीवार पटाखे बनाने वाली बजरी/पत्थर

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-

1. थानाध्यक्ष रामपुरा मय टीम जनपद जालौन।